न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 66 / 2024
जीसीएमएस नं. 2024 / 64

दायर दिनांक 11.06.2024
निर्णय दिनांक 03.12.2025

उनवान

1. केशर पत्नी स्व.गौतम पटेल निवासी ओडा बडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
2. धुलेश्वर पिता स्व. गौतम पटेल निवासी ओडा बडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भरतलाल पिता स्व.खेमराज पटेल निवासी ओडा बडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर।
2. भूमिधारी तहसीलदार बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर।

– विपक्षीगण

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970

उपस्थित – **1.श्री प्रेमपुरी गोस्वामी – अधिवक्ता अपीलाण्ट**
2. श्री ए.एल.पंचाल – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से

–:निर्णयः– **दिनांक –03.12.2025**

1 अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम ओडाबडा के खसरा नम्बर 833 बिलानाम की भूमि रकबा तीन बीघा पर प्रार्थीगण के पूर्वज पति / पिता श्री गौतम पिता हुका पटेल, निवासी ओडाबडा का करीब चालीस वर्षो पूर्व से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, । श्री गौतम के स्वर्गवास के पश्चात् से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण पूर्वानुसार काबिज काश्त है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री खेमराज पटेल वर्ष 2006 में राजकीय सेवा में सेवारत थे तथा विपक्षी अपने पिता के साथ संयुक्त परिवार में निवासरत था। विपक्षी संख्या 1 के पिता राजकीय सेवा में होने से अपना प्रभाव रखते थे, जिस कारण से उनके द्वारा क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त की उपरवर्णित भूमि में रकबा तीन बीघा का गुपचुप रूप से आवेदन पत्र तैयार करा दिनांक 25.01.2006 को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करा मौके एवं रेकार्ड के वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अवैधानिक रूप से नियमों के विरूद्ध आवंटन करवा लिया है।

विपक्षी संख्या 1 भी वर्ष 2009 के करीब राजकीय नौकरी में पदस्थापित हो गया। वह अथवा परिवार का कोई सदस्य मौके पर नही आया एवं न ही कभी कब्जा करने अथवा प्रार्थीगण को बेदखल करने का ही प्रयास किया जिससे आवंटन कागजो में चलता रहा।

विपक्षी सं. 1 को भूमि आवंटन करने से पूर्व इसकी विधिवत् घोषणा नही की गई। पटवारी हल्का द्वारा भी मौका निरीक्षण नही किया जाकर जल्दबाजी में गुपचुप रूप से मौके के वास्तविक तथ्यों एवं प्रार्थीगण के कब्जे को बताये बगैर ही आवेदन पत्र की पूर्ति की जाकर कागजों में आवंटन करवा दिया गया है, जो आवंटन नियमों के विरूद्ध है। आवंटन से पूर्व आवंटित की जाने वाली भूमि की विधिवत् उद्घोषणा जारी करनी होती है तथा इसका नियमानुसार प्रचार प्रसार भी किया जाना होता है। आवंटन मौके पर रिक्त पडी एवं काश्त योग्य भूमि का ही नियमों में वर्णित सडक सीमा की भूमि को छोडकर ही आवंटन नियमानुसार किया जा सकता है जबकि इस आवंटन के मामले में तो आवंटित भूमि पहाडी पडत भूमि हो प्रार्थीगण के अन्य खातेदारी खेत से चिपती भूमि होकर पडती भूमि थी, जिस पर प्रार्थीगण की थुअर की बाड लगी हुई थी एवं इसके अंश क्षेत्र में काश्त की जा रही थी। इस प्रकार प्रथमतः तो आवंटित की गई उक्त भूमि कब्जे रहित रिक्त भूमि (Un-occupied Land) नही होकर आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी एवं द्वितीयतः आवंटन की गई उक्त भूमि डूंगरपुर से बिछीवाडा जाने वाले मार्ग पर स्थित होकर यह भूमि निर्धारित सडक सीमा में होकर नियमानुसार आवंटन योग्य ही नही थी, तथापि गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए अवैध रूप से आवंटन करवा ली गई है जो प्रारंभतः ही आवंटन नियमों के विपरीत होकर ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है।

विपक्षी संख्या 1 का उक्त कथित आवंटन रेकार्ड में बना रहने पर डूंगरपुर–बिछीवाडा सडक जो आगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–48 से जुडती है, उसका विस्तार एवं सडक की चौडाईकरण (Widning) पर सरकार को भारी मुआवजा चुकाना पडेगा जो सरकार पर आर्थिक प्रभाव डालेगा, जिससे ऐसा आवंटन रेकार्ड में बनाया रखना उचित नही होकर ऐसे आवंटन को निरस्त किया जाना ही उचित होगा। आवंटन के पश्चात् से आवंटी ने कभी भी मौके पर कब्जा नही किया है तथा आवंटन की गई भूमि को काश्त में नही लाया गया है जिससे आवंटन शर्तो की पालना नही होने से भी यह आवंटन निरस्त योग्य ठहरता है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

अवैध आवंटन नियमो के विरूद्ध किया गया यह आवंटन जरिये Misrepresentation & Fraud के कराया गया आवंटन होने से ऐसे आवंटन को स्वमेव अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर कभी भी एवं किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, जिससे इस आवंटन को निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. उपरोक्त अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन जारी कर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री ए.एल.पचांल द्वारा वकालत नामा व जवाब दावा पेश किया ।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी गांव ओडाबडा में खसरा नंबर 833 बिलानाम भूमि होने के कथनों में आपत्ति नहीं है, लेकिन यह स्वीकार नही है कि उक्त खसरे की 3 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वज गौतम पिता हुका पटेल का 40 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा हो। उक्त कब्जे का कोई अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो तथा न ही कोई शास्ति का भुगतान किया गया हो, यह भी स्वीकार नहीं है कि गौतम पटेल के स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीगण उक्त भूमि पर पूर्वानुसार काबिज हो काश्त कर रहे हो। विपक्षी संख्या–1 एवं उसकी माता की वादग्रस्त आराजी के पास अन्य खातेदारी की भूमि स्थित है।

विपक्षी संख्या–1 के पिता के वर्ष 2006 में राजकीय सेवा में होने के कथन में आपत्ति नहीं हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि विपक्षी संख्या–1 अपने पिता के साथ संयुक्त परिवार में निवासरत था।

विपक्षी संख्या–1 जो भूमिहीन कृषक हो, अपने कब्जेशुदा बिलानाम भूमि का नियमानुसार आवेदन कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर विधिवत तरीके से उक्त आराजी की 2 बीघा भूमि का अपने नाम आवंटन कराया जो पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर करवाया गया।

प्रार्थीगण का कभी भी आवंटन शुदा भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी संख्या–1 लगातार काबिज हो, मौके पर काश्त कर रहा है एवं प्रार्थीगण को कथित आवंटन की आरंभ से पूर्ण जानकारी है , उनके द्वारा कभी कोई उजर एतराज नही किया गया । वर्ष 2006 में उक्त भूमि का आवंटन विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कुंआ, ओडी (कमरा) व अकुडा बने हुए है इसके अलावा शेष भूमि विपक्षी संख्या 1 काश्त कर रहा है।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षी संख्या 1 के वर्ष 2009 में राजकीय सेवा में नियुक्त होने के कथनों में आपत्ति नहीं है, लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि उसके सेवा में चले जाने से वह अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य आवंटित भूमि पर मौके पर नहीं आया हो, न कब्जा किया हो।

आवंटन पूर्व समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं आवंटन पश्चात मौके पर वास्तविक कब्जा सुपुर्द करने , तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में आवंटी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद करने व समस्त विधिवत कार्यवाही उपरान्त उक्त आवंटन किया गया है, जिसे किसी भी सूरत में निरस्त किये जाने का कोई वैध आधार नही है। आवंटन विधिवत नियमो के तहत समस्त प्रक्रिया अपनाकर किया गया है, जिसे करीब 18 वर्ष बाद चुनौती दिये जाने का कोई आधार नही है।

वर्ष 2006 मे आवंटन के समय आवंटन योग्य भूमि का आवंटन किया गया है जो तत्समय नियम प्रचलित थे उसी अनुरूप आवंटन किया गया है। जहां तक सडक के चौडाईकरण के कारण सरकार को भारी मुआवजा देने के कथन का प्रार्थीगण से कोई सरोकार नहीं है। एक और प्रार्थीगण उक्त भूमि स्वंय के कब्जेशुदा होना बताते हैं एवं दूसरी तरफ सडक विस्तारीकरण के लिये होने से आवंटन योग्य नहीं होना बताते हैं जो अपने आपमें विरोधावासी है।

आवंटी द्वारा आवंटन उपरांत पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट बनाई व तत्पश्चात कमेटी की जांच उपरान्त विधिवत तरीके से समस्त नियमों की पालना कर आवंटन किया गया है। किसी भी तथ्य को नही छिपाया है। मौके पर विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा हो वही निरंतर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। ऐसे मे आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं हैं। तहसीलदार की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा हो निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

4. **हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।**

5. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ओडाबडा के खसरा नम्बर 833 बिलानाम की भूमि रकबा तीन बीघा पर प्रार्थीगण के पूर्वज पति/पिता श्री गौतम पिता हुका पटेल, निवासी ओडाबडा का करीब चालीस वर्षो पूर्व से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, । श्री गौतम के स्वर्गवास के पश्चात् से उक्त भूमि पर प्रार्थीगण पूर्वानुसार काबिज काश्त है।

विपक्षी संख्या 1 के पिता श्री खेमराज पटेल वर्ष 2006 में राजकीय सेवा में सेवारत थे तथा विपक्षी अपने पिता के साथ संयुक्त परिवार में निवासरत था। विपक्षी संख्या 1 के पिता

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

राजकीय सेवा में होने से अपना प्रभाव रखते थे, जिस कारण से उनके द्वारा क्षेत्र के तत्कालीन पटवारी हल्का से मिलकर प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त की उपरवर्णित भूमि में रकबा तीन बीघा का गुपचुप रूप से आवेदन पत्र तैयार करा दिनांक 25.01.2006 को आवंटन अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करा मौके एवं रेकार्ड के वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अवैधानिक रूप से नियमों के विरूद्ध आवंटन करवा लिया है।

विपक्षी संख्या 1 भी वर्ष 2009 के करीब राजकीय नौकरी में पदस्थापित हो गया। वह अथवा परिवार का कोई सदस्य मौके पर नही आया एवं न ही कभी कब्जा करने अथवा प्रार्थीगण को बेदखल करने का ही प्रयास किया जिससे आवंटन कागजो में चलता रहा।

विपक्षी सं. 1 को भूमि आवंटन करने से पूर्व इसकी विधिवत् घोषणा नही की गई। आवंटन से पूर्व आवंटित की जाने वाली भूमि की विधिवत् उद्घोषणा जारी करनी होती है। आवंटन मौके पर रिक्त पडी एवं काश्त योग्य भूमि का ही नियमों में वर्णित सडक सीमा की भूमि को छोडकर ही आवंटन नियमानुसार किया जा सकता है जबकि इस आवंटन के मामले में तो आवंटित भूमि पहाडी पडत भूमि हो प्रार्थीगण के अन्य खातेदारी खेत से चिपती भूमि होकर हक पडती भूमि थी, जिस पर प्रार्थीगण की थुअर की बाड लगी हुई थी एवं इसके अंश क्षेत्र में काश्त की जा रही थी। इस प्रकार प्रथमतः तो आवंटित की गई उक्त भूमि कब्जे रहित रिक्त भूमि (Un-occupied Land) नही होकर आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी एवं द्वितीयतः आवंटन की गई उक्त भूमि डूंगरपुर से बिछीवाडा जाने वाले मार्ग पर स्थित होकर यह भूमि निर्धारित सडक सीमा में होकर नियमानुसार आवंटन योग्य ही नही थी, तथापि गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए अवैध रूपेण आवंटन करवा ली गई है जो प्रारंभतः ही आवंटन नियमों के विपरीत होकर ऐसा आवंटन निरस्त योग्य है।

अवैध आवंटन नियमो के विरूद्ध किया गया यह आवंटन जरिये Misrepresentation & Fraud के कराया गया आवंटन होने से ऐसे आवंटन को स्वमेव अथवा किसी के प्रार्थना पत्र पर कभी भी एवं किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है, जिससे इस आवंटन को निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं. 1 के नाम किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या–1 के पिता के वर्ष 2006 में राजकीय सेवा में होने के कथन में आपत्ति नहीं हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं है कि विपक्षी संख्या–1 अपने पिता के साथ संयुक्त परिवार में निवासरत था।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

विपक्षी संख्या–1 जो भूमिहीन कृषक हो, अपने कब्जेशुदा बिलानाम भूमि का नियमानुसार आवेदन कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर विधिवत तरीके से उक्त आराजी की 2 बीघा भूमि का अपने नाम आवंटन कराया जो पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर करवाया गया।

प्रार्थीगण का कभी भी आवंटन शुदा भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है। विपक्षी संख्या–1 लगातार काबिज हो, मौके पर काश्त कर रहा है एवं प्रार्थीगण को कथित आवंटन की आरंभ से पूर्ण जानकारी है , उनके द्वारा कभी कोई उजर एतराज नही किया गया । वर्ष 2006 में उक्त भूमि का आवंटन विधिक प्रक्रिया अपनाकर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का कुंआ, ओडी (कमरा) व अकुडा बने हुए है इसके अलावा शेष भूमि विपक्षी संख्या 1 काश्त कर रहा है।

आवंटन पूर्व समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाकर पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं आवंटन पश्चात मौके पर वास्तविक कब्जा सुपुर्द करने , तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों में आवंटी का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद करने व समस्त विधिवत कार्यवाही उपरान्त उक्त आवंटन किया गया है, जिसे किसी भी सूरत में निरस्त किये जाने का कोई वैध आधार नही है। शेष कलम में वर्णित समस्त कथन बनावटी, दस्तावेजों के विपरीत होकर अस्वीकार है। किया गया आवंटन विधिवत हो, नियमो के तहत समस्त प्रक्रिया अपनाकर किया गया है, जिसे करीब 18 वर्ष बाद चुनौती दिये जाने का कोई आधार नही है।

वर्ष 2006 मे आवंटन के समय आवंटन योग्य भूमि का आवंटन किया गया है जो तत्समय नियम प्रचलित थे उसी अनुरूप आवंटन किया गया है। जहां तक सडक के चौडाईकरण के कारण सरकार को भारी मुआवजा देने के कथन का प्रार्थीगण से कोई सरोकार नहीं है।

आवंटी द्वारा आवंटन उपरांत पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट बनाई व तत्पश्चात कमेटी की जांच उपरान्त विधिवत तरीके से समस्त नियमों की पालना कर आवंटन किया गया है। किसी भी तथ्य को नही छिपाया है। मौके पर विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा हो वही निरंतर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। ऐसे मे आवंटन निरस्त किया जाना उचित नहीं हैं। तहसीलदार की मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 का ही कब्जा हो निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

7. हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेज का ध्यायनपूर्वक अवलोकन किया। आवंटी भरतलाल पिता खेमराज पटेल को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल न. 343/06 दिनांक 25.01.2006 को मौजा ओडाबडा तहसील बिछीवाडा के खसरा नम्बर 833 में से रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

दिनेश धाकड़
जिला कलक्टर, डूंगरपुर

वर्तमान जमाबन्दी रिकोर्ड अनुसार आवंटी खातेदार दर्ज है। इस प्रकार आवंटी को आवंटन पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हो चुके है।

अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र में स्वंय का कब्जा होना ,आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होना, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जानी, आवंटन के समय उद्घोषणा जारी नहीं होना, आवंटन हेतु रिक्त भूमि नहीं होना, आवंटी का पिता राजकीय सेवा में होना, आवंटी का पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहना, वादग्रस्त आराजी मार्गाधिकार की भूमि होने से आवंटन नहीं किया जा सकता एवं आवंटी द्वारा धोखाधडी व दुर्व्यपदेषन (Misrepresentation & fraud) के आधार पर भूमि का आवंटन अकंन किया है। इन आधार पर अपीलाण्ट आवंटी के आवंटन को निरस्त कराना चाहता है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी पर स्वंय का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिनसे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आवंटी/विपक्षीगण का आवंटित आराजी में कब्जा काश्त नहीं होना व आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करना अकंन किया है, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदार हक प्राप्त हो चुके है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.09.25 के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित आराजी में मक्का की फसल काश्त की है। इससे साबित होता है कि आवंटी का आवंटित आराजी में कब्जा काश्त है एवं आवंटन पश्चात आवंटन नियमों की पालना की गयी जिसके आधार पर आवंटी को आवंटन पश्चात गैर खातेदारी से खातेदारी हक प्राप्त हुए हैं।

इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा आवंटन के समय उद्घोषणा जारी नहीं होना एवं आवंटन हेतु रिक्त भूमि नहीं होने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिनसे यह साबित होता हो कि आवंटन के समय उद्घोषणा जारी नहीं हुई है व वादग्रस्त आराजी रिक्त भूमि नहीं रही है।

इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा आवंटी का पिता राजकीय सेवा में होना व आवंटी का पिता के साथ संयुक्त परिवार में रहना अकंन किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किये है जिनसे यह साबित होता हो कि वक्त आवंटन आवंटी का पिता राजकीय सेवा में हो तथा आवंटी अपने पिता पर आश्रित होकर उनके साथ संयुक्त परिवार में रहता हो।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी मार्गाधिकार की भूमि होने का कथन किया है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.09.2025 के अनुसार आवंटित खसरा डूंगरपुर–बिछीवाडा मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से 20 मिटर दूरी पर है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के उप–नियम (v) के खण्ड (च) के प्रावधान अनुसार **"राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित कोई अन्य सडक के लिए भारतीय सडक कांग्रेस के मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट सीमाएं या किसी अधिनियम या केन्द्रीय या राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों या सडक के केन्द्र में पैंतालीस मीटर, जो भी अधिक हो, में यथा विनिर्दिष्ट सीमांए।" अधिसूचना संख्या एफ.9(8) राजस्व–6/17/45 दिनांक 04.06.2018 द्वारा नियम 4 के उप–नियम (v) के खण्ड (च) को प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित से पूर्व खण्ड (च) के अनुसार " किसी राजस्व अथवा पक्की या कंकरीट सडक के मध्य से दोनों ओर पचास गज की दूरी के भीतर स्थित भूमियां।"** इस प्रकार यह आवंटन वर्ष 2006 का है, इस पर अधिसूचना 04.06.2018 से पूर्व के प्रावधान लागू होते है। पूर्व में लागू नियम/प्रावधान अनुसार सडक के मध्य से दोनो ओर 50 गज के भूमि का आवंटन प्रतिबन्धित है। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार आवंटन समिति द्वारा 20 मीटर अर्थात् 21.87 गज सडक के मध्य से छोडकर भूमि आवंटन किया गया है। आवंटन 2006 का है और आवंटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार/हक प्राप्त हो चुके है। 50 गज की दूरी के प्रावधान का ध्यान आवंटन समिति व राजस्व कार्मिकों द्वारा रखा जाना चाहिए था इसमें आवंटी की किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं है। आवंटन सलाहकार समिति व राजस्व कार्मिको की त्रुटि/गलती की सजा आवंटी को नहीं दी जा सकती है। अतः प्रकरण में आवंटी के खातेदारी हक निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

इसके साथ ही अपीलाण्ट द्वारा आवंटन को आवंटी द्वारा धोखाधडी एवं दुर्व्यपदेशन के आधार पर भूमि का आवंटन कराया जाने का अकंन किया है। जबकि नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत ऐसा आवंटन जो कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा कराया हो या नियम विरूद्व किया गया हो या आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की हो तो इस प्रकार के आवंटन को नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर आवंटन धोखाधडी एवं दुर्व्यपदेशन के आधार पर कराया जाना साबित होता हो।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

यहाँ यह भी सुस्पष्ट तथ्य है कि आवंटन 50 गज सडक के मध्य से छोडकर किया जाना चाहिए था, क्योकि सडक के मध्य से दोनो ओर 50 गज भूमि आवंटन हेतु अनुउपलब्ध भूमि की श्रेणी में आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार आंवटित आराजी जो सडक के मध्य से 50 गज की दुरी के मध्य है उसको बिलानाम दर्ज कर आराजी का शेष हिस्सा आवंटी की खातेदारी में रखा जाना न्यायोचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम ओडाबडा तहसील बिछीवाडा के खसरा न. 4380/902 रकबा 0.32 है. किस्म पडत सडक के मध्य से 50 गज तक आने वाली वादग्रस्त आवंटित भूमि को बिलानाम दर्ज कर शेष आवंटित आराजी को आवंटी के नाम यथावत बदस्तूर खातेदारी हक में रखा जावे। नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर